

# उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

निर्णय दिनांक :- 23/9/2021

संख्या - 187 / 2021

उनवानी प्रार्थना पत्र -

1. कन्या पुत्री देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. किशनलाल पुत्र देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. भंवरलाल पुत्र देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मन्नी देवी पत्नी देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. राजन्ता पुत्री देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. शिवराज पुत्र देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. हंसराज पुत्र देबीलाल जाति गुर्जर निवासी देवीखेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष

बनाम


तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट  
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 120 खसरा नम्बर 1138/740 रकबा 0.58 है0 व खसरा नम्बर 1253/740 रकबा 0.66 है0 ग्राम ककोडिया तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2072-75 में अंकित आराजी खाता संख्या 120 खसरा नम्बर 1138/740 रकबा 0.58 है0 व खसरा नम्बर 1253/740 रकबा 0.66 है0 ग्राम ककोडिया की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली